(14)

संख्या- 2669(1)/15-8-95/3002/89

प्रेषक,

श्री मनजीत सिंह,
सचिव, माध्यमिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा0),
उ0प्र0, लखनऊ/इलाहाबाद।

लखनऊ: दिनांक: 05 जनवरी, 1996.

शिक्षा (8) अनुभाग

विषय:- अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षेतर कर्मचारियों को पेंशन स्वीकृत किये जाने हेतु उसी विद्यालय के असहायता प्राप्त की अवधि को अहंकारी सेवा में जोड़ा जाना।

====

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- पेंशन(2)/शिविर/28008/90-91, दिनांक 07 अक्टूबर, 1990 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं शिक्षेतर कर्मचारियों की सेवा पेंशन के प्रयोजन हेतु उस तिथि से आगणित की जाती है जिस तिथि से सम्बन्धित संस्था को अनुदान सूची पर लिया गया हो। अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मचारियों की यह बराबर मांग रही है कि संस्थाओं में असहायता प्राप्त अवधि में की गई सेवा को भी पेंशन के लिए जोड़ा जाय। इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को उसी विद्यालय की असहायता प्राप्त की अवधि में की गई सेवा को पेंशन की अहंकारी सेवा में जोड़े जाने की सहर्ष स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान करते हैं कि सेवानिवृत्त शिक्षकों और शिक्षेतर कर्मचारियों के सी0पी0एफ0 के प्रबन्धकीय अंशदान की राशि को प्रबन्धक/कर्मचारी द्वारा मय ब्याज अवरुद्ध राजकोष में और शिक्षकों एवं शिक्षेतर कर्मचारियों द्वारा किये अंशदान की राशि ब्याज सहित सम्बन्धित शिक्षक/कर्मचारी के भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा कर दी गई हो। जिन सेवानिवृत्त शिक्षकों/शिक्षेतर कर्मचारियों का इस बीच निधन हो चुका है तथा जिनके आश्रित को वर्तमान नियमों के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की गई/अनुमन्य हो, उनके मामलों में भी यह सुविधा उपरोक्त शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी।

2- अभी भी यदि कोई ऐसे शिक्षक/कर्मचारी कार्यरत हैं जिन्होंने सामान्य भविष्य निधि को अपनाया है तथा लाभप्रदी योजना के अधीन प्रबन्धकीय अंशदान को राजकोष में जमा नहीं किया है तो ऐसे शिक्षकों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी प्रबन्धकीय अंशदान की धनराशि

---2/-

ब्याज सहित पिलम्बतम दिनांक 31 मार्च, 1996 तक राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाये । इस सम्बन्ध में विद्यालय के प्रधानाचार्य का दायित्व होगा कि वे शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारी से सम्बन्धित प्रबन्धकीय अंशदान की देय बकाये की धनराशि का ब्याज सहित आगणन कर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में कार्यरत लेखाधिकारी से सत्यापित कराकर निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जिस तिथि तक शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारी लाभप्रदी योजना में सम्मिलित थे, उस तिथि तक प्रबन्धकीय अंशदान की धनराशि ब्याज सहित राजकोष में जमा की जायेगी । लाभप्रदी योजना की समाप्ति के पश्चात ये दरें मूल वेतन के दस प्रतिशत के बराबर होगी । राजकोष में प्रबन्धकीय अंशदान की धनराशि ब्याज सहित जमा होने का उक्त लेखाधिकारी द्वारा प्रमाण प्राप्त किये जाने के उपरान्त इस आशय की प्रविष्टि सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारी की सेवापुस्तिका में भी कर दी जायेगी ।

3- उपरोक्तानुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन के प्रयोजन हेतु विद्यालय की अनहायता प्राप्त अवधि में सेवा की गणना उस तिथि से की जायेगी जिस तिथि से शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारी की तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत विधिवत एवं नियमित नियुक्ति हुई हो ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-11/3473/दस-95, दिनांक 02-01-1996 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(अनुपीत सिंह)
सचिव, माध्यमिक शिक्षा

संख्या- 2669/15-8-95/3002/89, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 (तीन प्रतियों में)
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11
4- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यरो, उ0प्र0, वित्त विभाग, लखनऊ ।
5- समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0
6- समस्त मण्डलीय उप क्षेत्रीय निदेशक -श्री, उ0प्र0 ।
7- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 ।
8- समस्त जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका, उ0प्र0 ।
9- समस्त मुख्य नगर अधिकारी, नगर महापालिका, उ0प्र0 ।
10- समस्त अध्यक्ष, नगर महापालिका, उ0प्र0 ।
11- शिक्षा सचिव शाखा के समस्त अनुभाग ।
12- नगर विकास अनुभाग-4/5,
13- परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उ0प्र0, इलाहाबाद ।

आज्ञा से,

(अशोक गांगुली)
संयुक्त सचिव ।